तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
31.01.25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप० वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 05.02.25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बाटोकुई (दौसा)
05.02.25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप० वादी वकील द्वारा बहस की गयी। हमने वादी वकील बहस सुनी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 20.02.25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बाटोकुई (दौसा)
20.02.25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप० समय अभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 27.02.25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बाटोकुई (दौसा)
	27.02.25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों ... /P.O. सा० राज्य कार्य ... से जनरल तारीख पेशी की गई गत आदेश की पालना में ... 10.03.25 को पेश हो।
10.03.25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप० वकील वादीगण द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अतः वादी वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर वादी वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, एवं पत्रावली का अवलोकन एवं बहस पर मनन करने के आधार पर वादीगण वाद आंशिक स्वीकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक् से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 10/3/24	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्याः 45/2022
प्रकरण दायर दिनांकः 24.02.2022
प्रकरण निर्णय दिनांकः 10.03.2025

उनवान

1. भजनलाल उम्र 60 वर्ष
2. गोविन्दसहाय उम्र 55 वर्ष — पिसरान हरबक्स
3. गोपाल उम्र 50 वर्ष

समस्त जाति गुर्जर निवासी साहूपाडा तहसील बसवा जिला दौसा

वादीगण

बनाम

1. मीना देवी बेवा किशनलाल उम्र 35 वर्ष
2. हुक्म सिंह पुत्र किशनलाल उम्र 13 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षक माता मीना देवी पत्नि किशनलाल
3. रामकरण पुत्र हरबक्स उम्र 65 वर्ष
4. कमला देवी पत्नि रामसिंह
   निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा
5. एसबीआई बैंक जरिये मैनेजर शाखा बांदीकुई
6. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा प्रबन्धक बांदीकुई
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा

—प्रतिवादीगण

दावा उद्घोषणा, खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

::निर्णय::

वादीगण द्वारा दावा उद्घोषणा, खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण जर्ये वकील श्री ऋषभदेव जैमन के इस आशय से पेश किया है कि भूमि खाता संख्या नया 54 पुराना 56 आराजी खसरा 476 लगायत 485, 491, 491/770, 493, 495, 496, 497, 497/769, 498, 499, 502 कुल खसरे 20 कुल रकबा 6.40 हैक्टेयर वाके ग्राम साहूपाडा तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है उक्त भूमि में मृतक हरनारायण पुत्र भीवा हिस्सा 3/16 का खातेदार था । वाद में पेश सिजरा खानदान के अनुसार हरनारायण लाऔलाद फौत हुआ तथा उसके सगे भाई हरबक्स के चार पुत्र कमशः प्रतिवादी संख्या 03 व वादीगण 1 लगायत 3 है मृतक हरनारायण का शादी विवाह नहीं हुआ था तथा वह वादीगण के पास

ही रहता था तथा वादीगण ही उसकी सेवा चाकरी करते थे तथा हरनारायण के जीवनकाल के समय से ही उसकी भूमि पर काबिज काश्त होकर लगान अदा करते चले आ रहे थे। लेकिन प्रतिवादी संख्या 03 का पुत्र किशनलाल एवं प्रतिवादी संख्या 02 का पति एवं 02 के पिता किशनलाल की मृत्यु हरनारायण के जीवनकाल मे होने पर भूमि मुतदाविया में 5/16 हिस्सा का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.09.2010 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 03 ने हरनारायण से मृतक किशनलाल की बेवा प्रतिवादी संख्या 01 व उसके नाबालिग पुत्र प्रतिवादी संख्या 02 के नाम करवा दी थी उक्त विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 03 व वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पारिवारिक आवश्यकता को एवं जीवन यापन के लिये करवाया गया था इसमें किसी भी प्रतिफल राशि का आदान प्रदान नहीं हुआ था। तथा मृतक हरनारायण ने वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 03 के नाम भूमि मुतदाविया हिस्सा 3/16 का वसीयतनामा दिनांक 07.11.2010 को तहरीर करवा दिया। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं वसीयतनामे के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02, 5/16 हिस्से पर काबिज काश्त कर उपयोग, उपभोग, लगान अदा करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 हरनारायण के 5/16 हिस्सा भूमि प्राप्त करने के बावजूद भी उसकी कोई सेवा चाकरी नहीं की तथा उससे दुर्व्यवहार किया इस कारण हरनारायण कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ नहीं रहा तथा वादीगण के साथ ही रहा तथा उन्हे ही बतौर पुत्र मानता रहा तथा वादीगण ने ही हरनारायण की देखभाल सेवा चाकरी की उनकी सेवा चाकरी से खुश होकर ही हरनारायण ने वादीगण के पक्ष में राजी खुशी स्वस्थ्य चित, बिना किसी नशे व दबाब के भूमि मुतदाविया 3/16 हिस्सा की वसीयत की है। एवं मृतक हरनारायण की मृत्यु दिनांक 25.07.2013 के बाद उसके समस्त दाह संस्कार ब्रहम्भोज, गंगा स्नान के कार्य बतौर पुत्र किये है। भूमि मुतदाविया हिस्सा 3/16 में बतौर खातेदार मृतक हरनारायण दर्ज है उसे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 अपने विरासत एवं वसीयत पत्र के बतौर खातेदार दर्ज करवाने के अधिकारी है लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के मन में बेईमानी आ गई है। तथा वे उक्त भूमि की खातेदारी वसीयत एवं विरासत से नही करवा कर अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है जबकि उन्हे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे भूमि मुतदाविया हिस्सा 3/16 की खातेदारी स्वयं प्राप्त करके वादीगण को खातेदारी अधिकार से वंचित करें। भूमि मुतदाविया हिस्सा 3/16 पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 03 विरासत एवं वसीयत से काबिज काश्त खातेदार है। वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 03 से समस्त रिश्तेदार एवं ग्रामवासियों के बार बार वसीयत एवं विरासत से तहसील में चल कर खातेदारी अपने नाम करवाने के लिये कहा लेकिन प्रतिवादी संख्या 03 लेट लतीफी कर समय गुजारी करते रहे तथा अब दिनांक 18.02.2022 को वादीगण के नाम खातेदारी करवाने से इंकार करने पर दावा उद्घोषणा पेश करना लाजमी आया है। वादीगण न्यायालय हाजा से इस अमर की उद्घोषणा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकार है कि भूमि मुतदाविया 3/16 हिस्सा जो कि मृतक हरनारायण के नाम दर्ज है कि मृत्यु दिनांक 25.07.2013 को हो जाने से वसीयत एवं विरासत

Scanned with OKEN Scanner

के आधार पर खातेदारी अधिकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 03 को दिये जाकर जमाबंदी में बतौर खातेदार दर्ज किया जावें।

प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 भूमि मुतदाविया हिस्सा 3/16 पर जबरन काबिज होना चाहते है तथा उसका नामान्तकरण तहसीलदार से सांठ गांठ कर अपने नाम खुलवा कर दीगर सख्स को रहन बय करने को आमदा है प्रतिवादी नंबर 01 लगायत 03 ने दिनांक 18.02.2022 को वसीयत एवं विरासत से वादीगण के नाम खातेदारी करवाने से इंकार कर अपने नाम खातेदारी करवा कर दीगर सख्स को रहन बय करने की धमकी दी है। प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है कि वो वादीगण को भूमि मुतदाविया की खातेदारी से वंचित करके अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा कर दीगर सख्स को रहन बय करे प्रतिवादीगण 01 लगायत 03 यदि अपने नाजायज मकसद में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी तथा गैर जरूरी किस्म के मुकदमात चल उठेगे जो बाय से बर्बादी वादीगण होगी ऐसी सूरत में वादीगण न्यायालय हाजा से इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है कि भूमि मुतदाविया हिस्सा 3/16 की प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 अपने नाम नामान्तकरण खुलवाने, खातेदारी अधिकार प्राप्त करने, रहन बय करने व वादीगण को बेदखल करने के लिये सदैव के लिये प्रतिबंधित रहे। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वादपत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर निम्न प्रकार डिक्री पारित फरमाया जावें। यह है कि भूमि मुतदाविया खाता संख्या नया 54 पुराना 56 के आराजी खसरा नंबर 476 लगायत 485, 491, 491/770, 493, 495, 496, 497, 497/769, 498, 499, 502 कुल खसरे 20 कुल रकबा 6.40 हैक्टेयर वाके ग्राम साहूपाडा में से 3/16 हिस्सा मृतक हरनारायण के नाम दर्ज है उक्त हिस्से को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 03 के नाम वसीयत एवं विरासत से खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा कर जमाबंदी में मृतक हरनारायण की जगह बतौर खातेदार दर्ज किया जावें। भूमि मुतदाविया हिस्सा 3/16 जिसके वादीगण खातेदार है उसे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 रहन बय करने से वादीगण को बेदखल करने से एवं उसका नामान्तकरण एवं खातेदारी अपने नाम करवाने से सदैव के लिये प्रतिबंधित रहे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन से की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर 01 लगायत 07 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

वादीगण की ओर से वाद की ताईद में रामसिंह पुत्र कानाराम, मूलचंद पुत्र रामसहाय, गोपाल पुत्र हरबक्स, भजनलाल पुत्र हरबक्स ने साक्ष्यवादी शपथ पत्र पेश किये । तदुपरांत हमने वादीगण वकील बहस सुनी। वादीगण वकील ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया वादी वकील ने वाद बाबत उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री कर वादीगण को वसीयत एवं विरासत से खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा कर जमाबंदी में मृतक हरनारायण की जगह बतौर खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली वादीगण साक्ष्य पर नियत की गई। साक्ष्य हेतु शपथ पत्र भजनलाल, गोपाल पुत्रान हरबक्श, मूलचंद पुत्र रामसहाय, रामसिंह पुत्र कानाराम पेश किये गये। शपथ पत्र पर दस्तावेजात प्रदर्श डाले गये। वादीगण वकील बहस सुनी गई। वादीगण वकील द्वारा बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने वादी वकील बहस पर मनन किया। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों एव संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबंदी संवत 2075–78 राजस्व ग्राम साहूपाडा खाता संख्या 54 नया 56 पुराना में हरनारायण पुत्र भींवा हिस्सा 3/16 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार दर्ज है। सजरा खानदान अनुसार हरनारायण, हरबक्स भीवाराम के पुत्र है। हरनारायण की मृत्यु दिनांक 25.07.2013 को हो गयी है। हरनारायण लाऔलाद फौत हुआ है। हरबक्स के चार संतान रामकरण, भजनलाल, गोपाल, गोविन्दसहाय है। हरनारायण पुत्र भीवा के शेष हिस्से में 3/16 भूमि रही है तथा वर्तमान जमाबंदी में भी 3/16 हिस्सा दर्ज है। हरनारायण पुत्र भीवा ने हिस्सा 3/16 की वसीयत दिनांक 07.11.2010 को अंपजीकृत वसीयत/नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित है। हरनारायण पुत्र भीवा द्वारा रामकरण, भजनलाल, गोविन्दसहाय, गोपाल पि0 हरबक्स गुर्जर के नाम वसीयत की है। वसीयत अपंजीकृत है तहसीलदार से प्रमाणित नहीं है। अतः पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर वादीगण वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वादीगण वकील बहस पर मनन करने, संलग्न दस्तावेजात अवलोकन के आधार पर वादीगण वाद दावा उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बॉदीकुई को आदेश दिया जाता है कि ग्राम साहूपाडा तहसील बॉदीकुई जिला दौसा में स्थित खाता सं. नया 54 पुराना 56 के आराजी खसरा नं. 476 लगायत 485, 491, 491/770, 493, 495, 496, 497, 497/769, 498, 499, 502 कुल खसरे 20 कुल रकबा 6.40 हैक्टेयर में वसीयत यदि अंतिम है, वसीयत यदि निरस्त नहीं की गयी है, वसीयत यदि नियमानुसार की गयी है आदि तथ्यों की जॉच कर शुद्धिकरण की कार्यवाही कर विधिवत राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार बॉदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

10/3/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉदीकुई मुकाम–बॉदीकुई
जज इजलास–श्री रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉदीकुई

उनवान

1. भजनलाल उम्र 60 वर्ष
2. गोविन्दसहाय उम्र 55 वर्ष } पिसरान हरबक्स
3. गोपाल उम्र 50 वर्ष

समस्त जाति गुर्जर निवासी साहूपाडा तहसील बसवा जिला दौसा

वादीगण

बनाम

1. मीना देवी बेवा किशनलाल उम्र 35 वर्ष
2. हुक्म सिंह पुत्र किशनलाल उम्र 13 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षक माता मीना देवी पत्नि किशनलाल
3. रामकरण पुत्र हरबक्स उम्र 65 वर्ष
4. कमला देवी पत्नि रामसिंह
   निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा
5. एसबीआई बैंक जरिये मैनेजर शाखा बांदीकुई
6. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा प्रबन्धक बांदीकुई
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा

–प्रतिवादीगण

दावा उद्घोषणा, खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं.–45/2022 सन्–2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादीगण वकील–श्री ऋषभदेव जैमन व हाजिरी प्रतिवादीगण वकील .....मिनजानिब मुद्दई रूबरू ..... मिनजानिय मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण वकील बहस पर मनन करने, संलग्न दस्तावेजात अवलोकन के आधार पर वादीगण वाद दावा उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बॉदीकुई को आदेश दिया जाता है कि ग्राम साहूपाडा तहसील बॉदीकुई जिला दौसा में स्थित खाता सं. नया 54 पुराना 56 के आराजी खसरा नं. 476 लगायत 485, 491, 491/770, 493, 495, 496, 497, 497/769, 498, 499, 502 कुल खसरे 20 कुल रकबा 6.40 हैक्टेयर में वसीयत यदि अंतिम है, वसीयत यदि निरस्त नहीं की गयी है, वसीयत यदि नियमानुसार की गयी है आदि तथ्यों की जॉच कर शुद्धिकरण की कार्यवाही कर विधिवत राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

निज.....मुबलिग.....बाबत्.....

.

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 03 सन् 2025 को जारी की गई।

10/3/25

दस्तखत.....

ओहदा.....

मुहर

Scanned with OKEN Scanner

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कगिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

10/3/25